विषयः—माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दृष्टि—पत्र 2018 के कियान्वयन हेतु 100 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा हेतु विभागीय टीप।

विमानन विभाग का मुख्य कार्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिये विमान/हेलीकॉप्टर का संधारण, प्रदेश में स्थित हवाई पट्टियों का संधारण तथा नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण करना है । वर्तमान में राज्य सरकार के फ्लीट में 01 विमान एवं 03 हेलीकॉप्टर (दो डबल इंजन एवं एक सिंगल इंजन) सम्मिलित है । विभाग की सीमित प्लान सीलिंग तथा बजट सीमा को दृष्टिगत रखते हुये आगामी 100 दिवस में निम्नानुसार कार्ययोजना प्रस्तुत है : —

1. डी.जी.सी.ए. द्वारा निर्धारित Civil Aviation Requirements को दृष्टिगत रखते हुये पदों की संविदा से निम्न पदों की पूर्ति कर ली जायेगी । इन पदों की स्वीकृति मंत्रि—परिषद से प्राप्त कर ली गई है :—
   1. फ्लाईट डिस्पेचर
   2. फ्लाईट आपरेशन असिस्टेंट
   3. फ्लाईट आपरेशन ऑफिसर
   4. फ्लाईट सेफ्टी ऑफिसर
   5. मेंटेनेन्स मैनेजर

   उक्त में से फ्लाईट डिस्पेचर एवं फ्लाईट आपरेशन असिस्टेंट को संविदा पर नियुक्त करने हेतु विज्ञापन जारी हो चुका है । आवेदकों के आवेदन प्राप्त हो चुके है तथा साक्षात्कार की कार्यवाही की जावेगी । शेष पर कार्यवाही प्रचलित है ।

2. विभाग की प्लान सीलिंग तथा बजट आवंटन को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन की हवाई पट्टियां उज्जैन, नीमच, बालाघाट, सतना, खण्डवा, उमरिया, छिन्दवाड़ा, सागर तथा रतलाम में संधारण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । ये सभी कार्य वर्तमान में प्रचलित है ।

3. प्रदेश के औद्योगिक जिले सिंगरौली में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु कलेक्टर,सिंगरौली द्वारा भू—अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। इस हेतु जिले को राशि रूपये 14.00 करोड़ का बजट उपलब्ध करा दिया गया है । हवाई अड्डे के निर्माण हेतु एस.पी.व्ही. का गठन कर दिया गया है ।

4. जबलपुर हवाई अड्डे के विस्तार हेतु माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया को निःशुल्क भूमि तथा भूमि अर्जन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

5. सतना एवं खण्डवा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के आधिपत्य की एयरफील्ड को राज्य शासन को रूपये 1/— वार्षिक प्रीमियम पर 30 वर्ष के लिये लीज पर प्राप्त करने हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दी गई है, जिस पर लीज डीड निष्पादित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

6. विभाग की वित्तीय वर्ष 2013–14 की योजना सीमा 18.00 करोड़ है, जिसके विरूद्ध हवाई पट्टियों के संधारण हेतु राशि रूपये 48.00 करोड़ कार्य स्वीकृत किये गये हैं। विभाग को उक्त स्वीकृत कार्यो के संधारण हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि रूपये 32.00 करोड़ का पुनर्विनियोजन प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है ।

(जे.सी.भट्ट)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग